मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेश दिनांक 30.01.2024 के अनुक्रम में कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग– 4, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13.02.2024 एवं यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19.02.2024 एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01.03.2024 के द्वारा बंदी निरूद्धि क्षमता में वृद्धि किये जाने हेतु जेलों के विस्तार व नई जेलों की स्थापना व माडल जेल मैनुअल में निर्धारित प्रस्ताव के अतिरिक्त प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु जनपद बलरामपुर स्तर पर गठित समिति की बैठक दिनांक 04.04.2024 का कार्यवृत्त

मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या–406/2013 Re Inhuman Condition in 1382 Prisons. में निर्गत मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.01.2024 के अनुक्रम में कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग– 4, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13.02.2024 एवं यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19.02.2024 एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01.03.2024 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुरूप जनपद बलरामपुर स्तर पर गठित समिति की बैठक दिनांक 04.04.2024 को आहुत की गयी। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहेः–

क0सं0	नामित	समिति पद
1	श्री अनिल कुमार झा, प्रधान/ जिला न्यायाधीश (अध्यक्ष), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलरामपुर।	अध्यक्ष
2	श्री अरविन्द सिंह, जिलाधिकारी जनपद बलरामपुर	सदस्य
3	श्री केशव कुमार, पुलिस अधीक्षक, जनपद बलरामपुर	सदस्य
4	श्री विमल प्रकाश आर्या, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद बलरामपुर।	सदस्य संयोजक
5	श्री राम कुबेर सिंह, जेल अधीक्षक, बलरामपुर	सदस्य

विषयांकित गठित समिति द्वारा निम्न लिखित बिन्दुओं पर विमर्श किया गयाः–

1. **जिले की वर्तमान जिला कारागार की क्षमता, आक्यूपेसी एवं भविष्य की मांग के दृष्टिगत जेल के विस्तार एवं नई जेल की स्थापना के सम्बन्ध मेंः–**

जनपद बलरामपुर में वर्तमान समय में जिला कारागार बलरामपुर शहर के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। वर्तमान क्रियाशील कारागार में निरूद्धि क्षमता 420 है, जिसके सापेक्ष कारागार में 390 बंदी निरूद्ध हैं। जिससे स्पष्ट है कि क्षमता से कम बंदी निरूद्ध होने के कारण कारागार में ओवरकाउडिंग की समस्या नही है।

2. **जेलों में आर्टिफीसियल इंटेलिजेन्सी को सम्मलित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बंदियों को मुलाकात हेतु वीडियों कान्फ्रेसिंग की सुविधा तथा बंदियों को टेलीमेडीसिन सुविधा तथा सिद्धदोष बंदियों के समयपूर्व रिहाई (स्थाई नीति) के सम्बन्ध मेंः–**

कारागार में बंदियों की मुलाकात की प्रचलित व्यवस्था के सम्बन्ध में जेल अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में बंदियों की मुलाकात शत्–प्रतिशत् ई–प्रिजन पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार करायी जा रही है। वर्तमान में कारागार में वीडियो कान्फ्रेसिंग इकाई स्थापित है, जिसके माध्यम से बंदियों की जनपदीय एवं वाहय न्यायालयों के समक्ष ऑनलाइन पेशी करायी जाती है। इसके अतिरिक्त कारागार में निरूद्ध बंदियों हेतु टेली मेडीसिन (ई–संजीवनी) वर्तमान में क्रियाशील है।

वर्तमान में कारागार में निरूद्ध कोई भी सिद्धदोष बंदी समयपूर्व रिहाई की स्थाई नीति 01.08.2018 यथासंशोधित दिनांक 28.07.2021 व दिनांक 27.05.2022 के अन्तर्गत पात्र नही है।

3. **कारागार के अन्तर्गत सुरक्षा उपायों, स्वच्छता उपायों, स्वास्थ्य देखभाल, महिला बंदियों के कल्याण, कारागार में निरूद्ध माताओं के साथ रह रहे बच्चों की सुविधा के सम्बन्ध मेंः–**

जेल अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि जिला कारागार बलरामपुर में सुरक्षार्थ कारागार मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अत्याधुनिक मेटलडिडेक्टर, सी0सी0टी0वी0 कैमरे आदि लगाये गये हैं। इसके अतिरिक्त कारागार पर तैनात कार्मिक एवं वाहय पुलिस प्रत्येक समय कारागार की उत्तम सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं तथा समय–समय पर किये गये निरीक्षण में कारागार की स्वच्छता एवं हरियाली की प्रशंसा की गयी है। इस दिशा में कारागार प्रशासन द्वारा **"ग्रीन जेल क्लीन जेल"** के संकल्प को चरितार्थ करने हेतु उठाये जा रहे कदम प्रशंसनीय है।

जिला कारागार बलरामपुर में बंदियों की स्वास्थ्य सुविधा हेतु एक परामर्शदाता एवं एक फार्मासिस्ट कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद बलरामपुर से सम्बद्धता पर तैनात हैं। साथ में यह भी अवगत कराया गया कि कारागार में निरूद्ध बंदियों के बेहतर स्वास्थ्य हेतु समय–समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाये जाते हैं तथा बंदियों को यथा आवश्यक बेहतर उपचार हेतु वाहय चिकित्सा संस्थान भेजा जाता है।

कारागार के कृषि फार्म में कृषि योग्य 12.00 एकड़ भूमि में आलू, मोटा अनाज एवं अन्य हरी सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। जिसका उपयोग बंदियों के भोजनार्थ किया जाता है।

कारागार में महिला बैरक कारागार के वाहय परिसर में स्थित अलग अहाते में स्थित है। उक्त बैरक में लगभग 11 महिलाऐं निरूद्ध हैं। महिला बंदियों को विशेषज्ञ उपचार प्रदान करने हेतु जिला चिकित्सालय से सप्ताह में 02 बार महिला चिकित्सक कारागार पर आकर महिला बंदियों को स्वास्थ्य जांच/उपचार/परामर्श प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि महिला बंदियों के कल्याणार्थ विभिन्न कार्यक्रम यथा प्रौढ़ साक्षारता, कौशल विकास आदि संचालित है, जिससे महिला बंदी आत्मनिर्भर होने के साथ ही तनावमुक्त भी रहती हैं।

कारागार में निरूद्ध माताओं के साथ रह रहे बच्चों हेतु महिला बैरक में क्रेच स्थापित है। इसके अतिरिक्त विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं द्वारा महिला बंदियों के साथ निरूद्ध बच्चों हेतु खिलौने, कपड़े आदि दिये गये हैं। बच्चों को नियमानुसार समस्त सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं।

4/4/24
(राम कुबेर सिंह)
अधीक्षक
जिला कारागार बलरामपुर

04.04.2024
(विमल प्रकाश आर्या)
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जनपद बलरामपुर।

(केशव कुमार)
पुलिस अधीक्षक,
जनपद बलरामपुर

(अरविन्द सिंह)
जिलाधिकारी
जनपद बलरामपुर

(अनिल कुमार झा)
जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बलरामपुर